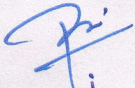


प्रारूप-5

परियोजना विवरण :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में लोस्तु-घण्डियाल से होन्डू रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि०मी०)

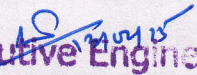
परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर पृष्ठ सं० १० पर संलग्न है।


का अधिकारी


सहायक अभियन्ता
आ० ख०, लो० नि० वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी


Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

प्रगारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग उत्तरांचल,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 27 फरवरी, 2004

विषय :- वित्तीय वर्ष 2003-2004 में 180 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 180 (एक सौ अस्सी) कार्यों के आगणनों लागत रू0 13550.66 लाख के आगणन पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्य पूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 13234.46 लाख (रू0 एक सौ बत्तीस करोड़ चौतीस लाख छियालीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में संलग्न सूची के कालम 6 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल रू0 27.80 लाख (रू0 सत्ताईस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरे शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम बरीयता के आधार पर की जाय; कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एकमुश्त प्राधिकार को प्राप्त करने की पूर्ण विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

सहायक अभियन्ता
प्र.च.लो.नि.वि. श्रीनगर मु. की.
देहरादून

Photo Copy Attached
कमश2/-

सहायक अभियन्ता
अ0 ख0, लो0 नि0 वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

2-

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराने समय पालन करना सुनिश्चित

कार्य कराने से पूर्व स्थल का उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ भली भौति निरीक्षण अवश्य कराना। निरीक्षण के पश्चात् स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये। आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा गणना पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण निगरानी निर्माण एजेंसी/अधिशाली अभियन्ता का होगा।

व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा रोडिंग प्राधिकारी की आवश्यकता हो, तो उनमें व्यय करने से पूर्व कार्य के आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृति की जा रही धनराशि का 31.03.2004 तक उपभोग सुनिश्चित किया जाय। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

आगामी क्रिस्त-तय ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृति की जा रही इस धनराशि का पूर्ण उपयोग कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय।

इस कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003-2004 में उद्घाटन संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें - आयोजनागत-800-अन्य राज्य रोड्स-02-नया निर्माण कार्य-24 ग्रहण निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या:2996 / वित्त अनुभाग-3/ 2003 दिनांक:27.04.2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

100 कार्यों की सूची।

[Signature]

भवदीय,

(*[Signature]* के पन्त)

संयुक्त सचिव।

कमश3/-

[Signature]

[Signature]

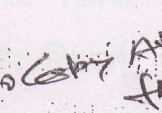
Photo copy Attached

[Signature]

सहायक अभियन्ता I
ध.ख.लो.नि.वि. श्रीनगर मु. को.
टिहरी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
अ० ख०, ल० नि० वि० श्री
मु० कीर्तिनगर

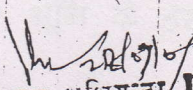
मंडोवाल नगर मोटर मार्ग से माता नगर होते हुए कोटेश्वर मंडोवाल मोटर मार्ग का निर्माण ।	8.00	111.20	111.20	0.15
शिवालय से घासी - वनोदवार पालकोट होते च्याकोटी तक मोटर मार्ग निर्माण 21 मी० लोह श्रुत सहित ।	10.00	160.00	160.00	0.20
मुगुडा रोड पीपलीघार मोटर मार्ग के किमी 3 पीपलीघार से अमरगोली कपरोली गेवन्डी तक दिहरी कीर्तिनगर से जोड़ना 15 मी० स्पां श्रुत सहित ।	14.00	209.60	209.00	0.20
रिक्ताखाल से चाचकण्डा गोनी, एराडी, काण्डी से डोंग मोटर मार्ग ।	10.00	139.00	139.00	0.20
लोखु धंडियाल से रान्दू से रिगोली मोटर मार्ग नव निर्माण ।	6.00	83.40	83.40	0.10
पैठाणी-कोटी मोटर मार्ग का नव निर्माण ।	4.00	55.60	55.60	0.10
पैठाणी-चूठाणी मोटर मार्ग का नव निर्माण - गोडा सक्क्याणा धूलेत मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	27.80	27.80	0.05
चेखाल गगवती तलेया रांराइखेत मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	69.50	69.50	0.10
मैखुली देवरडी कफलोख जोन्डा कंदूणखाल मोटर मार्ग का निर्माण ।	5.00	69.50	69.50	0.10
सिरखू मुसगली दमदेवल मोटर मार्ग किमी 7 से ग्राम नरोडा हेतु मोटर मार्ग	6.00	83.40	83.40	0.10
चेखाल-जरापुर मोटर मार्ग का डागरीकरण	1.50	20.85	20.85	0.05
पावो दमदेवल मोटर मार्ग का डागरीकरण	20.00	204.00	204.00	0.20
सिरखू मुसगली दमदेवल मोटर मार्ग का डागरीकरण	12.00	122.40	122.40	0.15
भंडेली जरापुरखाल मोटर मार्ग का डागरीकरण	10.00	102.00	102.00	0.10
सोकर सेण मे पशिचमी नयार पर पैदल पुल	5.00	51.00	51.00	0.10
ग्राम चंगीन मे नयार नदी पर पैदल पुल	30 मी०	36.00	36.00	0.05
ग्राम रिक्ताल गदरे मे पैदल पुल	30 मी०	36.00	36.00	0.05
ग्राम नांदा मे नयार नदी पर पैदल पुल	27 मी०	24.30	24.30	0.05
जनपद पोडी मढवाल मे करेखाल ग्राम मोदीवडी नवीन सड़क मार्ग निर्माण	27 मी०	24.30	24.30	0.05
सूर्यप्रभा-वदरतोली तेली मोटर मार्ग का नव निर्माण ।	1.500	20.85	20.85	0.05
रत्नागढ़-खापला-मुन्वाला मोटर मार्ग का नव निर्माण ।	3.00	41.70	41.70	0.10
	3.00	41.70	41.70	0.10
				0.10
				0.10

Photo  Attested
AC

सहायक अभियन्ता

अ० ख० लो० नि० वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

सत्यप्रति



सहायक अभियन्ता

म.ख.लो.नि.वि. श्रीनगर मु. की.

दिहरी गढ़वाल

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

परियोजना विवरण :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में लोस्तु-घण्डियाल से होन्डू रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि०मी०)

दिनांक 31.02.2009 को वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग के द्वारा कि०मी० 1.00 से कि०मी० 2.00 (ल०-1.650 किमी०) तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री महेन्द्र सिंह नेगी, श्री वी०आर० लखेड़ा सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षक प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ज्ञानेन्द्र कुमार कनिष्ठ अभियन्ता अन्य दावेदारों की ओर से प्रधान तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र पंचायत के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 550.00 (मी०) नाप भूमि से, 1100.00 (मी०) सिविल भूमि से, शून्य (मी०) वन पंचायत से, शून्य (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 0.495 हे० नाप भूमि, 0.99 हे० सिविल भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि, शून्य हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.99 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर चुने गये स्थल पर लगभग 22 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 22 बांज प्रजाति के प्रभावित होगा। वृक्षों की सूची मूल्यांकन सहित प्रस्ताव पर संलग्न है।

इस समरेखन की तुलना में जो वैकल्पिक समरेखन देखे गये उसमें 475.00 (मी०) नाप भूमि से, 1175.00 (मी०) सिविल भूमि से, शून्य (मी०) वन पंचायत से, शून्य (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 0.427 हे० नाप भूमि 1.057 हे० सिविल भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि शून्य हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.057 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

इस समरेखन पर चुने गये स्थल पर लगभग 27 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 27 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन 01 कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन 0.20 है एवं इन कक्षों में 01 प्रजाति के वन हैं।

प्रभावित होने वाली नाप भूमि 0.99 हे० पर विभिन्न प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर बांज, प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 0.20 है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 78°49'06.45"E, 30°19'52.45"N है तथा यह स्थल तेगड़-अच्छरीखूँट मोटर मार्ग के कि०मी० 9.00, के हे०मी० 4-6से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल हौन्दू है, जिसका GPS मान 78°49'41.54"E, 30°19'51.80"N है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान संलग्न हैं।

चयनित समरेखन में कुल शून्य पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखण पर प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु 03 नं० स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान निम्न हैं।

- अन्य आवश्यक विवरण (1) 78°49'06.45" E, 30°19'52.45" N
(2) 78°49'09.60" E, 30°19'41.96" N
(3) 78°49'30.68" E, 30°19'48.77" N

उप प्रभाषीय वन अधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
प्रतिनिधि

वन क्षेत्र अधिकारी
माणिकगढ़ रेंज
(वन विभाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
प्रतिनिधि

(राजस्व विभाग)
प्रतिनिधि

प्रभाषीय वन अधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती
(अन्य दावेदार) (जन प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि प्रतिनिधि

अ० ख.
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from EE. Ty. Div. PWD Kirtinagar for diversion under FCA-1980) of 0.99 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of road from Ghandiyal to Handu Righi. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated.....

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 0.99 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोट:- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

Place:-.....
Date.....

(Signature)

Name.....
Designation.....
Office Seal.....

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

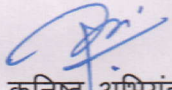
As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

परियोजना विवरण :-

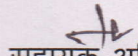
राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में लोस्तु-घण्डियाल से होन्डू रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि०मी०)

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

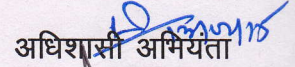
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 0.99 हे० सिविल भूमि एवं 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 0.99 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।



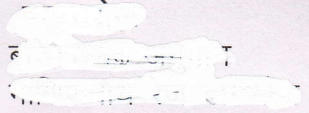
कनिष्ठ अभियंता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)

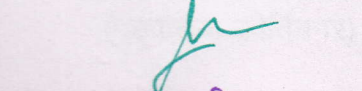


सहायक अभियंता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)

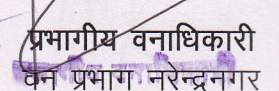


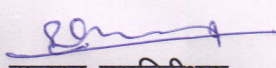
अधिशारी अभियंता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)



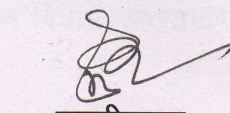

वन क्षेत्राधिकारी
माणिकताथ रेंज डांगचौरा
वन विभाग, उत्तराखण्ड
नरेन्द्रनगर


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर का प्रभाग
मुनीकीरेती


प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग नरेन्द्रनगर
मुनीकीरेती वन विभाग



राजेश उपनिरीक्षक
धण्डियालधार लोस्तु
कीर्तिनगर



तहसीलदार
तहसील- देवप्रयाग
टि०म०



उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल


प्रतिस्तराशदित

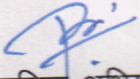
अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

परियोजना विवरण :-

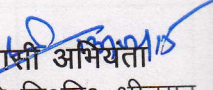
राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में लोस्तु-घण्डियाल से होन्डू रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि०मी०)

लैन्ड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि)

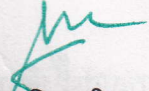
जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे०)
टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती	डांगचौरा राजि	-	शून्य	शून्य	शून्य

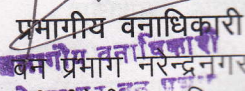

कनिष्ठ अभियंता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)


सहायक अभियंता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)


अधिशिष्टी अभियंता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)


उप प्रभागीय वन अधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती


वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज डांगचौरा
वन विभाग उत्तराखण्ड


प्रभागीय वन अधिकारी
वन प्रभाग नरेन्द्रनगर
मुनिकीरेती वन विभाग

परियोजना विवरण :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में लोस्तु-घण्डियाल से होन्डू रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि०मी०)

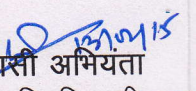
लैन्ड शेड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है।)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)
सिविल एवं सोयम ग्राम क्वीली, होन्डू	टिहरी	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	798	0.009	1100	9.00	0.99
				777	0.009			
				793	0.018			
				762	0.072			
				725	0.036			
				1344	0.072			
				280	0.324			
				111	0.099			
				108	0.090			
				83	0.063			
				86	0.036			
				511	0.018			
				671	0.018			
				881	0.090			
				515	0.018			
				627	0.009			
				615	0.009			
योग				17	0.990			
वन पंचायत	-	-	-	-	-	-	-	-
योग वन भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-
नाप भूमि	-	-	-	-	-	550	9.00	0.495
कुल योग	-	-	-	-	-	-	-	1.485

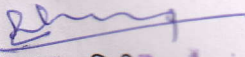

कनिष्ठ अभियंता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)

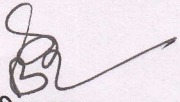

सहायक अभियंता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)

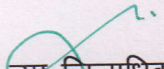

अधिशिप्सी अभियंता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)

प्रतिहस्ताक्षरित

अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।


राजस्व उपनिरीक्षक
घण्डियालधार, लोस्तु
कीर्तिनगर


तहसीलदार
तहसील- देवप्रयाग
टि०ग०


उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रारूप-16

परियोजना विवरण :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में लोस्तु-घण्डियाल से होन्डू रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि०मी०)

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण।

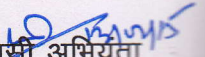
क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि	-	-	-
2	सिविल सोयम भूमि	1100.00	9.00	0.99
3	वन पंचायत भूमि	-	-	-
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	-	-	-
	वन भूमि का योग	1100.00	9.00	0.99
5	नाप भूमि	550.00	9.00	0.495
	कुल योग-	1650.00	9.00	1.485



कनिष्ठ अभियंता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)



सहायक अभियंता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)



अधिशाली अभियंता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
(मुख्यालय: कीर्तिनगर)

परियोजना विवरण :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में लोस्तु-घण्डियाल से होन्डू रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि०मी०)

बार-चार्ट

स्केल- 1.00 सेमी०-100 मी०

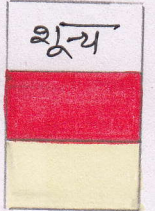


संकेत-

आरक्षित वन भूमि-

सिविल सोयम वन भूमि-

नाप भूमि-



Dr. J.E

सहायक अभियन्ता
अ० ख०, लो० नि० वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

उप प्रभारी वन अधिकारी
देवप्रसाद उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

प्रभारी वन अधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती